

कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास**मध्यप्रदेश**

क्रमांक/शिक्षा.3/2026-27/

भोपाल दिनांक

प्रति,

समस्त प्राचार्य (रीवा को छोड़कर)

शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय

मध्यप्रदेश

विषय- विद्यालय की CBSE मान्यता नवीनीकरण हेतु विभागीय हेतु विभागीय अनुमति (NOC) प्रदान करने विषयक।

संदर्भ- प्राचार्य भोपाल का पत्र क्र. 258 दिनांक 09.09.2026**--00--**

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की CBSE बोर्ड मान्यता नवीनीकरण (Affiliation Renewal) हेतु विभागीय अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

शासकीय आवासीय विद्यालयों को CBSE मान्यता नवीनीकरण (सत्र 2027 और आगामी वर्षों के लिए) हेतु नियमानुसार विभागीय अनुमति (NO Objection Certificate) प्रदान की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि CBSE बोर्ड के समस्त आवश्यक मानकों, नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए समय सीमा (30 सितम्बर 2026) के भीतर नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त**अनुसूचित जाति विकास****मध्यप्रदेश**

पृ.क्रमांक/शिक्षा.3/2026-27/

भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि-

समस्त संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त**अनुसूचित जाति विकास****मध्यप्रदेश**